मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी , RAS

प्रकरण सं. 78/2020 वाद
GCMS NO.- 2020/00189

रमेशचन्द्र पिता चुन्नीलाल जाति कुमावत आयु वयस्क, निवासी मांगरोल तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।

– वादी

//बनाम//

1. कैलाशसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क, निवासी मांगरोल तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।
2. अर्जुनसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क, निवासी मांगरोल तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।
3. विजयसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क, निवासी मांगरोल तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।
4. फतहसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क, निवासी मांगरोल तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।
5. गीताबाई पत्नि मांगीलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क, निवासी मांगरोल तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।

– प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा

अन्तर्गत धारा 53 रा.का.अधि.

प्रकरण में आज दिनांक को वादी की और से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नाहरसिंह छाजेड़ की उपस्थिति में प्रकरण में राजीनामें अनुसार दिनांक 10.11.2020 को जारी प्राथमिक डिक्री में तहसीदार निम्बाहेड़ा को 500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये गये थे कि विवादित भूमि वाके मौजा मांगरोल की खाता संख्या 127 आराजी नं 1210 रकबा 1.0300 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी नं0 5 गीताबाई का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्सा एवं मौके [illegible] मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बटवाड़ा कर अलग अलग खातेदारी में [illegible] जावें एवं शेष प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का राज[illegible] के हिस्सा बदस्तुर शामलाती रखा जावें तथा पहुंच मार्ग [illegible] विभाजन प्र[illegible] प्रस्तुत करें। तहसीलदार निम्बाहेड़ा [illegible] क्रमांक/टीआरए/पीडी/[illegible] दिनांक 27.01.2021 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो माफिक आदेशानुसार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:35:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है । विवादित भूमि मौजा मांगरोल की खाता संख्या 127 आराजी नं 1210 रकबा 1.0300 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता हैः-

1— श्री रमेशचन्द्र पिता चुन्नीलाल कुमावत सा0 देह के रहेगी—

आराजी नं.	रकबा हैक्टेयर	लगान रूपये में
1210 में से		
उत्तरी पश्चिमी दिशा	0.30 चाही 4	3.60
कुल कीता—1	कुल रकबा 0.30	3.60

2— गीताबाई पत्नी मांगीलाल ब्राहम्ण सा0 देह के रहेगी—

आराजी नं.	रकबा हैक्टेयर	लगान रूपये में
1210 में से		
मध्य पूर्वी दिशा	0.51 चाही 4	6.12
कुल कीता—1	कुल रकबा 0.51	6.12

3.— श्री कैलाश सिंह, अर्जुन सिंह, फतहसिंह, विजय सिंह पिता हरिसिंह राजपूत सा0 देह के रहेगी—

आराजी नं.	रकबा हैक्टेयर	लगान रूपये में
1210 में से		
दक्षिण दिशा	0.22 चाही 4	2.64
कुल कीता—1	कुल रकबा 0.22	2.64

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

यह आज तारीख 27.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:35:13 IST
Reason: SelfAttested

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official